



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:- 24-12-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त ऋषि उर्फ सैय्यद मुमताज को यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास तथा कुल 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-दशाश्वमेध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 139/2002, धारा- 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ऋषि पुत्र सैय्यद मुमताज पुत्र सैय्यद गुलाम हुसैन निवासी- सीके 42/26, चाहमहमा, थाना-चौक, वाराणसी को थाना-दशाश्वमेध पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24-12-2024 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज गै0 एक्ट जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी